न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—211/2019/225 (2019/00211)

1. श्रीमती केली देवी पत्नी रामलाल पुत्री श्योनारायण, जाति जाट, निवासी चौरू, तह0 फागी, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. सूरजकरण पुत्र श्योनारायण, जाति जाट, निवासी मीरापुर, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार, मौजमाबाद, तहसील कार्यालय, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू दिनांक 16.5.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 238/2013.

उपस्थितः—

1. श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 16.5.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलांटस के प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 सगे भाई बहिन है । आराजी खसरा नंबर 6325, 6336 कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा व आराजी खतौनी संख्या 1215 की आराजी खसरा संख्या 6242/1, 6243, 6271/3, 6290, 6292/1, 6299, 6300, 6337, 6344, 6345, 6347, 6338/6495 कुल किता 12 कुल रकबा 44 बीघा 3 बिस्वा व आराजी खाता संख्या 112 के आराजी खसरा नंबर 103/1, 103/3, 509, 510, 470/1, 470/3, 278/1, 278/2, 289/2, 468/3, 468/1, 471 कुल किता 12 कुल रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा एवं आराजी खाता संख्या 110 के खसरा नंबर 121 रकबा 5 बिस्वा, आराजी खाता संख्या 114 के खसरा नंबर 476/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आराजी खाता संख्या 41 की आराजी संख्या 511 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खाता संख्या 115 की आराजी संख्या 101 रकबा 19 बिस्वा वाके ग्राम मौजमाबाद एवं ग्राम मीरापुर तहसील मौजमाबाद में स्थित है । उपरोक्त आराजी स्व0 श्योनारायण की आराजी रही है । श्योनारायण की मृत्यु पर विरासत का नामांतकरण अकेले रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने नाम तस्दीक करवा लिया जबकि उक्त आराजियात में अपीलांट का भी 1/2 हिस्सा

था इसलिये अपीलांट द्वारा 1/2 हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय दिनांक 16.5.2019 द्वारा प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तो अपीलांट के पक्ष में माना परन्तु जो स्थगन आदेश जारी किया गया उसमें प्रार्थिया के कब्जे काश्म में दखलदांजी नहीं करने का आदेश जारी कर दिया गया परन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गई प्रार्थना विवादित आराजियात का दीगर व्यक्तियों को रहन, बेय, मुंतकिल विक्रय आदि नहीं करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे प्रदान नहीं की गई । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 का आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने जब प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में पाये इसलिये स्थगन आदेश जारी किया गया तो ऐसी स्थिति में रेस्पो0 को विवादित आराजियात रहन, बेय, मुंतकिल नहीं करने हेतु भी पाबंद करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश के माध्यम से एक प्रकार से अप्रार्थी को विवादित आराजियात रहन, बेय, मुतंकिल करने हेतु स्वंत्रता प्रदान कर दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जाकर विवादित आराजियात को रहन, बेय, मुन्तकिल नहीं करने तथा ताफैसला मूल वाद राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश द्वारा एक दूसरे के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा नहीं करने तथा बेदखल नही करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । विवादित आराजियात पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थिया/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या आपस में सगे भाई–बहिन है तथा विवादित आराजियात पक्षकारान के पिता श्योनारायण की खातेदारी की थी । श्योनारायण की मृत्यु उपरांत विरासत का नामांतकरण अकेले रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने नाम तस्दीक करवा लिया जबकि उक्त आराजियात में अपीलांट का भी 1/2 हिस्सा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी में प्रार्थिया के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न स्वंय करे न अन्य से करावे एवं न ही उक्त आराजियात का रहन, बेय, मुन्तकिल आदि नहीं करे । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष को सुनकर आदेश दिनांक 16.5.2019 द्वारा प्रार्थिया/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 212 आंशिक रूप से स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 को ताफैसला मूल वाद इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि विवादित आराजियात में प्रार्थिया के बाहजोत में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न स्वंय करें न अन्य से करावे तथा एक दूसरे की बाहजोत में दखल नहीं

करे एवं एक दूसरे को बेदखल नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे ।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 के पिता श्योनारायण जाट की खातेदारी की आराजियात थी । खातेदार श्योनारायण की मृत्यु उपरांत विरासत का नामांतकरण अकेले अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 सूरजकरण के नाम तस्दीक किया गया है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट का श्योनारायण की पुत्री होने से इंकार किया है । अपीलांट श्योनारायण की पुत्री है अथवा नहीं तथा विवादित आराजियात में अपीलांट को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इन सब तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य निर्धारित किये जावेगें किन्तु अपीलांट ने स्वंय को मृतक खातेदार श्योनारायण की पुत्री होना बताकर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है । ऐसी स्थिति में वाद के निस्तारण तक यदि विवादित आराजियात का बेचान, हस्तातरंण इत्यादि हो जाता है तो ओर अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी जिसकी रोकथाम हेतु अधी0न्याया0 को रेस्पो0 संख्या 1 को विवादित आरायियात के बेचान, हस्तातंरण से भी पाबंद करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 को केवल मात्र एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश से पाबंद किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.5.2019 निरस्त किया जाता है तथा रेस्पो0 संख्या 1 को ताफैसला मूल वाद इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम मौजमाबाद एवं मीरापुर तसहील मौजमाबाद में अवस्थित आराजी खसरा नंबर 6325, 6336 कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 6242/1, 6243, 6271/3, 6290, 6292/1, 6299, 6300, 6337, 6344, 6345, 6347, 6338/6495 कुल किता 12 कुल रकबा 44 बीघा 3 बिस्वा, आराजी खसरा नंबर 103/1, 103/3, 509, 510, 470/1, 470/3, 278/1, 278/2, 289/2, 468/3 468/1, 471 कुल किता 12 कुल रकबा 16 बीधा 4 बिस्वा, आराजी खसरा नबंर 121 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नबंर 476/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 511 रकबा 1 बीधा 6 बिस्वा, आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 19 बिस्वा भूमियों में अप्रार्थी संख्या 1/रेस्पो0 संख्या 1 अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी न स्वंय करे न अन्य किसी से करावे तथा विवादित आराजियात रहन, बेचान, हस्तातंरण, इत्यादि नहीं करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर